



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1941 (श०)

संख्या- 243 राँची, बुधवार,

18 मार्च, 2020 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

संकल्प

विषय:- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग से निर्गत संकल्प संख्या-470, दिनांक 03.05.2018 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

संख्या- सी०एस०-01/आ.स. (नियुक्ति)-02/2019 (छाया-I)-435--राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-217/F दिनांक 18.01.2017 के माध्यम से राज्य के कर्मियों को 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंत्री के निजी स्थापना में पदस्थापित वाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग से निर्गत संकल्प संख्या-470, दिनांक 03.05.2018 द्वारा सातवाँ वेतन के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है।

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग से निर्गत संकल्प संख्या-470, दिनांक 03.05.2018 की कंडिका-4 की उप कंडिका (I) के क्रमांक 4 एवं 5 में अंकित मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव का नियत वेतन ₹ 1,18,500, दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-217/F, दिनांक 18.01.2017 द्वारा Level-13 (PB-IV, 37,400 – 67,000 GP-8700) के लिए स्वीकृत पुनर्गठन सूचकांक Fitment Factor 2.57

को योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2553/F, दिनांक 27.07.2017 द्वारा संशोधित करते हुए Level-13 के लिए पुनर्गठन सूचकांक (Fitment Factor) 2-57 को बढ़ाकर 2.67 कर दिया गया है। परिणामस्वरूप Level-13 का न्यूनतम प्रक्रम रु0 1,18,500 के स्थान पर रु0 1,23,100/- हो गया है जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी है ।

4. योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2553/F, दिनांक 27.07.2017 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग से निर्गत संकल्प संख्या-470, दिनांक 03.05.2018 को तदनुरूप संशोधित करते हुए, इस संकल्प की कंडिका-4 की उप कंडिका (i) के क्रमांक 4 एवं 5 में अंकित मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव के लिए स्वीकृत Level-13 के वेतनमान की गणना पुनर्गठन सूचकांक (Fitment Factor) 2.57 को बढ़ाकर 2.67 पर करते हुए Level-13 का न्यूनतम प्रक्रम रु0 1,18,500 के स्थान पर रु0 1,23,100/- किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

5. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या- सी0एस0-01/वा.को. (वे. पुन.)-01/2017-470, दिनांक 03.05.2018 की कंडिका-4 की उप कंडिका (i) के क्रमांक 4 एवं 5 में अंकित मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव के लिए स्वीकृत वेतनमान को तदनुरूप रु0 1,18,500/- (एक लाख अठारह हजार पांच सौ) मात्र के स्थान पर रु0 1,23,100/- (एक लाख तेईस हजार एक सौ) मात्र दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या- सी0एस0-01/वा.को. (वे. पुन.)-01/2017-470, दिनांक 03.05.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है और उक्त संकल्प के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव ।
